विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 8 जनवरी, 2026

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–12/2020–लेज.––भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) को दिनांक 07–10–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/–
(डॉ0 विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

––––––––––

2026 का अधिनियम संख्यांक 2

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 65 का संशोधन।
4. धारा 85 का संशोधन।
5. धारा 106ख का अन्तःस्थापन।
6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

––––––––––

2026 का अधिनियम संख्यांक 2

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020

(माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ड) में,––

(क) उप–खण्ड (i) में ''दस'' शब्द के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जायेगा; और

(ख) उप–खण्ड (ii) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''चालीस'' शब्द रखा जायेगा।

3. धारा 65 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (3) के खण्ड (iv) में ''पचहत्तर से अधिक नहीं होगी'' शब्दों के स्थान पर '', इस शर्त के अध्यधीन कि अतिकाल के लिए साधारण मजदूरी की दर का दो गुणा संदत्त किया जाएगा, एक सौ पंद्रह से अधिक नहीं होगी'' चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 85 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) में ''दस'' और ''बीस'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''बीस'' और ''चालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 106 ख का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 106 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''106ख. अपराधों का शमन.––राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, मुख्य निरीक्षक द्वारा अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् प्रशमन फीस की ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, किन्तु अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक की वसूली पर किसी अपराध का शमन किया जा सकेगा; और जहां अपराध का शमन,––

(क) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व किया जाता है, तो अपराधी ऐसे अपराध के अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा; और

(ख) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, तो शमन उस अपराधी की दोषमुक्ति से प्रभावी होगा, जिससे अपराध का शमन हुआ है।''।

6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

––––––––––

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 2026

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 65.
4. Amendment of section 85.
5. Insertion of section 106-B.
6. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.5 of 2020 and savings.

Act No. 2 of 2026

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 2020

(AS ASSENTED TO BY THE HON'BLE PRESIDENT ON 7TH OCTOBER, 2025)

AN

ACT

to amend the Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short Title and Commencement.—

(1) This Act may be called the Factories (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020

2. Amendment of Section 2.—In section 2 of the Factories Act, 1948, in its application to the state of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (m),—

(a) in sub-clause (i), for the word "ten", the word " twenty" shall be substituted; and

(b) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word " forty" shall be substituted.

3. Amendment of Section 65.—In section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv), for the words "seventy-five", the words "one hundred and fifteen, subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages" shall be substituted.

4. Amendment of Section 85.— In section 85 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty", shall be substituted respectively.

5. Insertion of section 106-B.—After section 106A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"**106 B. Compounding of offences.—**Any offence punishable under this Act, with fine only and committed for the first time, may subject to any general or special order of the State Government, be compounded by the Chief Inspector, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, but not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is compounded,—

(a) before the institution of prosecution, the offender shall not be liable to persecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty; and

(b) After the institution of the prosecution, the composition shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded.".

6. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No.5 of 2020 and savings.—

(1) The Factories (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Norwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.